

संख्या: शिक्षा-एच(20)जी-जलपान / 2016  
शिक्षा निदेशालय उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश

दिनांक: शिमला-171001 ,2022

### निविदा सूचना

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला-1 में कैन्टिन संचालन करने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में व्यवसायिक प्रबन्धकों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा -दाता का इस क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। निविदाएं दिनांक 26-12-2022 को 2.00 बजे अपराह्ण या इससे पूर्व अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन), शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला-1 के समक्ष पहुंच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन 3.00 बजे अपराह्ण को अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष खोली जाएंगी। लिफाफे के उपर निविदाएं कैन्टिन शिक्षा निदेशालय 2023-24 अंकित किया जाए। टैन्डर के साथ प्रतिभुति राशि मुबलिग 10,000/- रुपये बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो, जमा करवाना अनिवार्य होगा। नियम व शर्तें निदेशालय की वेबसाइट:- [www.education.org](http://www.education.org) से डाउनलोड कर सकते हैं।

शिक्षा निदेशक उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या: सम दिनांक शिमला-1

,2022

1. निदेशक लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि टैन्डर नोटिस का प्रकाशन हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में करने की कृपा करें।  
अधीक्षक (कम्प्युटर शाखा) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त पत्र को निदेशालय तथा लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर डाले।
2. नोटिस बोर्ड शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिं0 प्र0।  
कार्यालय / रक्षक नस्ति।
- 3.
- 4.



शिक्षा निदेशक उच्चतर  
हिमाचल प्रदेश

संख्या: शिक्षा-एच(20)जी-जलपान / 2016

शिक्षा निदेशालय उच्चतर

हिमाचल प्रदेश

दिनांक: शिमला-171001

,2022

## निविदा सूचना

अवधि जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक शिक्षा निदेशालय हि० प्र० शिमला-1 की कैन्टिन चलाने के लिए सील बन्द लिफाफे में निविदाएँ व्यवसायिक खान-पान प्रबन्धकों से आमन्त्रित की जाती है। जिनके पास इस सम्बन्ध में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए), वे निविदाएँ दिनांक 26.12.2022 को 2:00 बजे या इससे पूर्व अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन) शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) के पास प्रस्तुत/प्रेषित करें। निविदाएँ उसी दिन सांय 3.00 बजे खोली जाएँगी। टैन्डर के साथ प्रतिभूति राशि 10,000/- रूपये बैंक ड्राफट/ सावधि जमा रसीद, जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो, जमा करवाना होगा अन्यथा टैन्डर स्वीकार नहीं होगा। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की निर्धारित दरें निम्नलिखित शर्तों पर आमन्त्रित है।

### निविदा भरने की प्रक्रिया:-

#### तकनीकी निविदा :— **Technical Bid**

- तकनीकी निविदा के साथ निविदिदाता द्वारा मु० 10,000/- प्रतिभूति राशि जो कि A/c payee bank draft FDR duly pledged or bank guarantee के रूप में तैयार करें।
- कार्य अनुभव प्रमाण पत्रः— निविदिदाता द्वारा किसी सरकारी कार्यालय व संस्था, बोर्ड, निगम कार्यालय में कैन्टिन/मैस चलाने का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- निविदा में दी गई शर्तों के अनुपालना हेतु वचन पत्र देगा।

#### वित्तीय निविदा:—

- विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुओं के सामने निविदादाता द्वारा अपनी दरें दी जाएगी।
- वित्तीय निविदा केवल उसी निविदादाता की खोली जाएगी जो कि तकनीकी निविदा में दी गई शर्तों एवं दस्तावेजों को पूर्ण करता हो।

## नियम व शर्तें

- 1) इस टैन्डर की अवधि 01.01.2023 से 31.12. 2023 तक होगी ।
- 2) कैन्टिन के लिए फर्नीचर इत्यादि विभाग का होगा , उसे सुरक्षित रखना कैन्टिन ठेकेदार का कर्तव्य होगा । यदि इसमें किसी प्रकार की टूट-फूट होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति कैन्टिन ठेकेदार को करनी होगी ।
- 3) कैन्टिन खोलने का समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक होगा । इस समय में परिवर्तन शिक्षा निदेशक के लिखित आदेश से ही होगा ।
- 4) कैन्टिन के लिए पानी व बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा ।
- 5) कैन्टिन ठेकेदार को शिक्षा निदेशक के नाम बिजली व पानी की प्रतिभूति /निष्पादन सुरक्षा राशी अलग से 10,000/- रुपये बैंक ड्राफट/ सावधि जमा रसीद जो कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के नाम हो कोषाध्यक्ष के पास जमा करवानी होगी ।
- 6) कैन्टिन होल्डर को कैन्टिन के परिसर को प्रतिदिन साफ रखना होगा । कैन्टिन में कोई बाहरी व्यक्ति निवास नहीं करेगा तथा कैन्टिन कर्मचारी ही कैन्टिन में रात्रि ठहराव कर सकेंगे । अनाधिकृत व्यक्ति के कैन्टिन में पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना सूचना दर ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।
- 7) कैन्टिन में नशीली वस्तुएं जैसे शराब , सिगरेट , तम्बाकू गुटका इत्यादि रखने पीने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगा ।
- 8) ठेकेदार प्रतिमास अग्रिम रूप से कैन्टिन किराये की राशि जो कि मुबलिग 2000/- रुपये होगी, प्रशासन के पास जमा करवाएगा ।
- 9) जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत नहीं होगी उसे उसकी जमानत राशी का भुगतान निविदा का निर्णय होने के बाद वापिस कर दिया जाएगा ।
- 10) किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार शिक्षा निदेशक को होगा जिसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 11) सफल निविदिदाता के साथ विभाग द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालना हेतु अनुबन्ध किया जाएगा ।
- 12) सफल निविदिदाता द्वारा किसी भी प्रकार की शर्त के उल्लंघन पर निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त किया जा सकता है तथा निविदा को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है ।
- 13) यदि कैन्टिन ठेकेदार द्वारा कैन्टिन को ठीक प्रकार से नियमानुसार चलाता है तो टैन्डर की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है ।

- 14) किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन) को होगा ।
- 15) अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन) के निर्णय के विरुद्ध अपील शिक्षा निदेशक को की जा सकेगी तथा शिक्षा निदेशक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम तथा सभी को मान्य होगा ।
- 16) किसी भी वाद विवाद का निपटारा शिमला क्षेत्र में पड़ने वाले न्यायलय में ही होगा ।

यदि उपरोक्त दी गई सभी हिदायतें / शर्तें स्वीकार हो तो निविदा देने वाला अपनी निविदा शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश शिमला-1 को दिनांक 26/12/2022 2.00 बजे तक तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा को अलग-2 लिफाफों में बंद करने के पश्चात एक बड़े लिफाफे में दोनो लिफाफे डालें, और बड़े लिफाफे में “कैन्टिन निविदा उच्चतर शिक्षा निदेशालय” लिखकर निर्धारित तिथि एवं समय तक निदेशालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)  
हिमाचल प्रदेश

## दर सूची कैन्टिन शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	मात्रा	दर
1.	चाय	150 मि.ली.	
2.	काफी	150 मि.ली. दूध केवल	
3.	खाना पूरा	चपाती—4 चावल—100 ग्राम— 1 प्लेट सब्जी—100 ग्राम— 1 प्लेट दाल / कढ़ी / राजमाह /— 1 प्लेट चना—1 कटोरी 200 ग्राम सलाद / प्याज आदि	
4.	खाना आधा	चपाती— 2 व चावल—50 ग्राम— आधी प्लेट सब्जी—100 ग्राम तथा दाल / कढ़ी / राजमाह / चना—1 कटोरी 200 ग्राम सलाद / प्याजा आदि	
5.	दाल / सब्जी	1 कटोरी 200 ग्राम	
6.	पकोड़े	1 किलो	
7.	मटर	1 किलो	
8.	बेसन	1 किलो	
9.	मटठी	1 किलो	
10.	ब्रेड पकोड़ा / समोसा	70 ग्राम	
11.	चना भट्ठा	2 भट्ठे 75 ग्राम प्रत्येक चना— 1 कटोरी 200 ग्राम	
12.	स्पेशल सलाद	मूली / खीरा / गाजर / बन्दगोभी / प्याज	
13.	स्पेशल लंच	1. पनीर आइटम मटर पनीर / शाही पनीर / मटर मशरूम 2. सब्जी मौसमी / मिक्स 3. दाल (राजमाह, माह, मखनी, पीली दाल) 4. चपाती 5. चावल बासमती 6. मिष्ठान 7. सलाद— मूली, खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर	